न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

5104

निगरानी संख्या 13/2018

1. रामीजीलाल
2. सोभाग

पुत्रान रूपा जाति खटीक निवासी उरसेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र देवादास जाति स्वामी निवासी उरसेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत खसरा नंबर 353 रकबा 17 बिस्वा ग्राम उरसवेा तहसील मौजमाबाद दिनांक 12.07.1975

निर्णय

दिनांकः–26/08/2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी विवादित भूमि खसरा नंबर 353 रकबा 17 बिस्वा भूमि ग्राम उरसेवा की आबादी भूमि खसरा नंबर 352 व 351 के एवं ग्राम उरसेवा से डोरिया व तूदेडा ग्राम के जाने वाले आम रास्ते के बीच में है जिसमें प्रार्थीगण का बुजुर्गों से बाडा खाम मकान, पानी की हौद करीब विगत 50 वर्षों से निरन्तर आज तक कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि विपक्षी नंबर 1 को आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री रूपा पुत्र नाथू खटीक के नाम 10 बिस्वा भूमि पर गै.मु. बाडा भी कब्जा होने से खसरा परिवर्तनशील में अंकन किया गया है। उक्त भूमि विपक्षी नंबर 1 रामनारायण को आवंटन नहीं की है जो वास्तव में सुखदेव स्वामी का पुत्र है जो अपने आपको देवादास का पुत्र बनकर उक्त आवंटन कराया है। आवंटन दिनांक आवंटी रामनारायण की खातेदारी में 15 बीधा भूमि होने के बावजूद अपने आपको भूमिहीन बताकर आवंटन कराया है जो निरस्तनीय है। आवंटी बेसाज पटवारी व सरपंच स्वयं आवंटन के समय ग्राम पंचायत उरसेवा में पंच होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आवंटन कराया है। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी की सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू के यहां घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद एवं अपील अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांभर के यहां पर प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया है। अन्त में निवेदन किया गया है कि विपक्षी नंबर 1 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 12.07.1997 बाबत खसरा नंबर 353 रकबा 17 बिस्वा ग्राम उरसेवा निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं दीगर व्यक्तियों के बाडे एवं खाम मकान बने हुए हैं उनके पक्ष में नियमन करने की कार्यवाही की जावे।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में नकल आवंटन आदेश 12.07.1975, गिरदावरी संवत 2045–2057 एवं 2049–2052, माननीय न्यायालय सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक के निर्णय दिनांक 25.04.2015 पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभर लेक द्वारा की गई थी एवं आवंटन के पश्चात उक्त भूमि का गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 341 दिनांक 11.01.1977 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया तथा सम्पूर्ण जांच के बाद उक्त भूमि की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 687 दिनांक 05.06.1992 को अप्रार्थी नंबर 1 को दी गई एवं आवंटन से आज दिनांक तक अप्रार्थी नंबर 1 काबिज होकर उपयोग करता आ रहा है। आवंटन पश्चात गैर खातेदारी एवं तत्पश्चात खातेदारी अधिकार अप्रार्थी नंबर 1 को दिये गये यह तथ्य तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट भू.अ./2016/2991 दिनांक 08.09.2016 द्वारा सिद्ध होते हैं। अप्रार्थी नंबर 1 सुखदेव स्वामी का जायन्दा पुत्र हो एवं देवदास का दत्तक पुत्र है। कोई तथ्य छुपाया गया नहीं है। माननीय सिविल न्यायायलय (क0ख0) दूदू, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 43/2014 निर्णय दिनांक 18.6.2014 द्वारा वादग्रस्त भूमि का वास्तविक स्वामी अप्रार्थी नंबर 1 है। अप्रार्थीगण ने सम्पूर्ण नियमों के पालन उपरान्त ही आवंटन प्राप्त किया है। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में नकल तहसील रिपोर्ट दिनांक 30.11.2016, नकल निर्णय फोटो प्रति सिविल न्यायालय दिनांक 18.06.2014, नकल जमाबंदी फोटोप्रति 2049–2052, नकल नक्शा पेश किया है।

तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों का वर्णन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतो को अध्ययन एवं मनन किया। पत्रावली के अवलोकन पर हम पाते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण का बुजुर्गों से बाडा खाम मकान, पानी की हौद करीब विगत 50 वर्षों से निरन्तर आज तक कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि विपक्षी नंबर 1 को आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री रूपा पुत्र नाथू खटीक के नाम 10 बिस्वा भूमि पर गै.मु. बाडा भी कब्जा होने से खसरा परिवर्तनशील में अंकन किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम उरसेवा तहसील दूदू की नकल खसरा से जाहिर होता है किन्तु प्रार्थीगण के पिता रूपा पुत्र नाथू खटीक का बाडा पडत कब्जा होना स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं है। जबकि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खाता संख्या 166 के आराजी खसरा संख्या 353 रकबा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम उरसेवा में अप्रार्थी रामनारायण पुत्र देवादास एक मात्र खातेदार काश्तकार होना अंकित है। उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश के अवलोकन से भी प्रार्थीगण अतिक्रमी प्रतीत होते हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस सबूत, साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी अपने कथनों को साबित कर सके।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी विवादित स्थल पर अपना स्वत्व एवं विधिपूर्ण अधिपत्य साबित करने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ मामला बनना प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपील सारहीन अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
जिला कलक्टर